

Order Sheet [Contd]

Case No - B.A -409 / .17बी.ए.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>21.11.2017</p> <p>पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से कार्य विभाजन पत्रक अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश।</p> <p>अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा मय बकालातनामा के एक आवेदनपत्र वास्ते प्रकरण शीघ्रसुनवाई एवं एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. का पेश कर निवेदन किया कि आवेदिका/आरोपिया बुद्धाबाई प्रकरण में समर्पण करना चाहती है प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया जावे।</p> <p>विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकार प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदिका/आरोपिया के विरुद्ध परिवादी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी मालनपुर के द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)(ख) के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है जिसमें कि आरोपिया के विरुद्ध वारंट जारी है। आवेदिका/आरोपिया प्रकरण में वांछित होने से उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल गोहद भेजा जावे।</p> <p>परिवादी की ओर से श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>आरोपिया की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा आरोपिया का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. पेश किया गया। जिसकी नकल परिवादी अधिवक्ता को दिलाई गई।</p> <p>आवेदनपत्र विधिवत पंजी में दर्ज किया जावे।</p> <p>आवेदिका/आरोपिया की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदिका/आरोपिया के विरुद्ध गलत रूप से परिवादी के द्वारा परिवादपत्र प्रस्तुत किया है, आवेदिका के द्वारा स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। वह प्रत्येक शर्त का पालन करने को तैयार है। इन्हीं आधारों पर जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>परिवादी की ओर से जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदिका/आरोपिया के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग ने धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में उपयोगकर्ता होने के रूप में पेश किया गया है।</p>	

जिसमें कि आरोपिया के द्वारा उपभोक्ता श्रीमती पार्वती बाई को प्रदत्त विद्युत कनेक्शन पर बिल के रूप में 96,482/- रूपए बकाया हो गई थी। उक्त राशि जमा न करने के कारण विभाग द्वारा उक्त कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। परंतु उसके पश्चात् निरीक्षण के दौरान दिनांक 24.10.2013 को आरोपिया के द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ उक्त कनेक्शन को अप्राधिकृत रूप से पुनः मण्डल की लाइन से सीधे तार जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते पाया गया था, जिस संबंध में कार्यवाही करते हुए उपयोगकर्ता के रूप में यह परिवादपत्र उसके विरुद्ध 02.11.2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें कि वर्तमान तक आरोपिया उपस्थित नहीं है और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा रहा है। आरोपिया ने आज स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। प्रकरण अभी प्रारंभिक स्टेज पर है जिसके निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में आवेदिका/आरोपिया की ओर से 20,000/- (बीस हजार रुपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जाये।

प्रकरण में सहअभियुक्तगण अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः प्रकरण सहअभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु पूर्ववत दिनांक 09.12.2017 को पेश हो।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
वास्ते- विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0